

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमांक:-जिशाअ/हनु/प्रा0/मान्यता/2015/ 563

दिनांक:- 18/6/2015

प्रबन्धक

**माँ भगवती एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी भादरा
जिला हनुमानगढ**

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18
के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010
के नियम II के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.9.2011के आवेदन और इस संबध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश स्काई विंग्स इन्टरनेशनल स्कूल भादरा (अग्रेजी माध्यम) तहः भादरा को 6/2015 से कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित भातों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।
- 2.विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधों का पालना करेगा ।
- 3.विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
- 4.पैरा-3में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा-12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
- 5.सोसायटी/विधालय किसी कैंपिटेशन भुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।
- 6.विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7.विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-'

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।
- (5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेश आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का स्मावेश किया जाना ।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विघमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे ।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ,और

- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेंगे ।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा ।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
विद्यालय परिसर का क्षेत्र 0
कुल निर्मित क्षेत्र :-3159 वर्ग मीटर
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल :-2637 वर्ग मीटर
कक्षा कमरों की संख्या : 10
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष :-06
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :-है
पेयजल सुविधा :-है
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई:-है
बाधा रहित पहुँच
अध्यापक पठन सामग्री /क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता:-उपलब्ध है ।
11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी ।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है ।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है ।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ को भेजी जानी चाहिए ।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड 0899 संख्याक है । कृप्या इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें ।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है, जो मान्यता संबंधी भातों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि हो को सुनिश्चित किया जाए ।
19. संलग्न उपाबंध III के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय


जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक हनुमानगढ

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक हनुमानगढ

कार्यालय आदेश

श्रीमान वरिष्ठ उप सचिव के पत्रांक प.9(2)शिक्षा-5/मा.प्राउप्रा/2015 स्कूल शिक्षा(ग्रुप'5)विभाग जयपुर दिनांक 24.7.2015 एवं श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/ प्रारं /शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/15-16/दिनांक 3.8.2015 की पालना में स्काईविंग्स इन्टरनेशनल स्कूल भादरा को (अग्रेजी माध्यम)की सत्र 2015-16 से कक्षा 6 से 8 तक अग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की जाती है।



जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक हनुमानगढ

दिनांक:- 3/8/2015

क्रमांक:-जिशिअ/हनु/प्रा0/ क्रमोन्नति/2015-16/ 650

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

01:-ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी भादरा

02:-व्यवस्थापक स्काईविंग्स इन्टरनेशनल स्कूल भादरा

03:-कार्यालय प्रति ।



जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक हनुमानगढ

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमानगढ़

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक मा. शि. राज. बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/माध्य/अ-2/21313/2016-17 दिनांक 29.9.16 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त निम्न शर्तों के अन्तर्गत सत्र 2016-17 में निम्न गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर कमोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. सत्र 2016-17 में कक्षा 9वीं प्रारम्भ करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
6. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 की पालना करनी होगी।

क्र.सं.	नाम विद्यालय	माध्यम
1	स्काई विंग्स इन्टरनेशनल स्कूल भादरा	अंग्रेजी

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, हनुमानगढ़
दिनांक- 4/10/16

क्रमांक- जिशिअ/माध्य/हनु./निजी/मान्यता/2016-17/ 448
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, मा0 शि0 राज0 बीकानेर।
3. श्रीमान सचिव, मा0 शि0 बोर्ड राज. अजमेर।
4. श्रीमान उपनिदेशक मा0 शि0 परिक्षेत्र बीकानेर
5. सचिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, राज0 जयपुर।
6. संबंधित शिक्षण संस्था स्काई विंग्स इन्टरनेशनल स्कूल भादरा
7. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, हनुमानगढ़